छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रं./पंचा/रा.पो.मि./2018/55

नया रायपुर, दिनांक 30/06/2018

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला समस्त छ.ग.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   समस्त जिला पंचायत
   छत्तीसगढ़।

विषय :– राष्ट्रीय पोषण मिशन के शुभारम्भ के गतिविधियों बाबत्।

––000––

विषयान्तर्गत लेख है कि, भारत सरकार द्वारा कुपोषण की स्तर में कमी लाने के लिए वृहत अभियान के रूप में राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारम्भ किया गया है। मिशन में छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में 12 जिलों को सम्मिलित किया गया है एवं चरणबद्ध तरीकों से शेष जिलों को भी समाहित किया जायेगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य 0–6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों में विद्यमान कुपोषण की कमी लाने तथा 15–49 वर्ष आयु समूह की महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं में व्याप्त एनिमिया को वर्ष 2022 तक 9 प्रतिशत् घटाया जाना है। मिशन की सफलता तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन की उद्देश्य प्राप्ति के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को योजनाओं की जानकारी साझा करना आवश्यक है। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है–

1. जिले के त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों का आवश्यकतानुसार 01 अथवा 02 दिवसीय प्रशिक्षण जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला, महिला एवं बाल विकास अधिकारी से समन्वय कर जिला पंचायत संसाधन केन्द्र एवं जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र में आयोजित किया जावे।

2. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 46 में प्रावधानित ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति में ग्राम पंचायत में कार्यरत् आंगनबाडी कार्यकर्ताओं में से योग्य कार्यकर्ता को इस समिति का सचिव घोषित किया जावे । इस समिति की मासिक सम्मिलन में कुपोषण को दूर करने के प्रयासों पर आवश्यक रूप से चर्चा कर प्रत्येक माह लक्ष्य निर्धारण किया जावे । स्थायी समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण भी कराया जावे।

3. ग्राम पंचायतों को यह परामर्श दिया जावे कि ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण में समस्त कार्यो का 02 प्रतिशत कार्य महिलाओ एवं बच्चों से जुड़े कल्याणकारी कार्यो को सम्मिलित किया जाय। महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने एवं कुपोषण के स्तर में कमी लाने हेतु आवश्यक कार्यों की सूची भी पंचायतों को उपलब्ध करायी जावे।

4. 20 अगस्त से आयोजित होने वाले अनिवार्य ग्राम सभा से एक दिवस पूर्व 19 अगस्त को महिला सभा एवं बाल सभा का आयोजन किया जा सकता है। जिनमें महिलाओं एवं बच्चों के विकास से संबंधित विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की जा सकती है।

महिला एवं बाल विकास विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे ।

Mandal 30/6/18

(आर.पी.मंडल)
अपर मुख्य सचिव
छ.ग. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned by CamScanner

पृ.क्रं. / पंचा/रा.पं.वि./2018/56 नया रायपुर, दिनांक 30/06/2018

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, छ.ग. शासन मंत्रालय महानदी भवन छ.ग को सूचनार्थ।
2. संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा को सूचनार्थ।
3. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग,संचालनालय नया रायपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
4. संचालक, पंचायत संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
5. समस्त उपसंचालक, पंचायत जिला .... छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत .... छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

Mandal 30/6/18

अपर मुख्य सचिव
छ.ग. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned by CamScanner